निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 91/अपील/15 तारीख दायरा 18.11.2015

उनवान अपील

रमेश आ0 स्व0 कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण नि0 भिलवाड़ी तहसील पचपहाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

01. भैरूलाल आ0 देवीलाल जाति गुर्जर नि0 आरोलिया
02. रत्तीराम आ0 भंवरलाल जाति गुर्जर नि0 भिलवाड़ी
03. रामप्रसाद आ0 रत्तीराम जाति गुर्जर नि0 भिलवाड़ी
04. राकेश आ0 रामप्रसाद जाति गुर्जर नि0 भिलवाड़ी
05. प्रहलाद आ0 भेरूलाल जाति बूजर नि0 भिवाडी
06. श्रीमति गुड्डी बाई पत्नी मांगीलाल जाति गुर्जर नि0 भिलवाड़ी
07. रमेश आ0 रामप्रसाद जाति गुर्जर नि0 भिलवाड़ी
08. बापूलाल आ0 माधोलाल जाति गुर्जर नि0 भिलवाड़ी
09. प्रभूलाल आ0 माधोलाल जाति गुर्जर नि0 भिलवाड़ी
10. राजमल आ0 राधेश्याम जाति गुर्जर नि0 भिलवाड़ी
11. रमेश आ0 राधेश्याम जाति गुर्जर नि0 भिलवाड़ी
12. सरपंच ग्राम पंचायत भिलवाड़ी (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.10.2010 एवं निर्णय उपखण्ड अधिकारी दिनांक 08.07.2015

उपस्थितः— श्री रमेशचन्द शर्मा, अपीलान्ट स्वंय

—: निर्णय :— दिनांकः 18.12.2017

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम पचांयत भिलवाडी द्वारा दिनांक 07.10.2017 को पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि अपीलान्ट की कृषि भूमि ख0न0 878,879,885,886,992 ग्राम भिलवाडी में स्थित है। ग्राम पचांयत भिलवाडी ने अपीलान्ट को बिना सुने उसकी अनुपस्थिति में नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया गया है जो खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध संग्रह सार के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत ने वास्तविक तथ्यों के संबंध में जांच नही कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। रेस्पो0 न0 2 के भाई की आराजी अपीलान्ट की आराजी के पीछे स्थित है उस आराजी पर उत्तर दिशा से होकर रेस्पोडेन्ट कृषि कार्य हेतु आते–जाते थे। अपीलान्ट ने रास्ते बाबत कोई प्रा0पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश नही किया था । ग्राम पंचायत के आदेश की अपील भूल से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी को प्रस्तुत कर दी थी जो दिनांक 08.07.15 को क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को नही होने से खारिज की गई। अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट की आराजी भूमि में करवाये गये फसल नुकसान राशि 80,000/— रेस्पो0 न0 12 से भुगतान करवाये जाने व अन्य न्यायोचित राहत राशि भी प्रदान की जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनका पक्ष नही सुना जा सका। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलान्ट को सूचना पत्र नही दिया गया व पत्रावली भी नही बनाई गई। भेरू लाल ने अपनी आराजी भूमि अपने ही परिवार के लोगों से क्रय की है। मेड लाईन पर से भेरूलाल व रत्तीराम के परिवार को निकलना चाहिये। पंचायत को नया रास्ता खोलने का कोई कानूनी प्रावधान नही है। ग्राम पंचायत के फैसले को निरस्त कराने का अनुरोध किया गया है।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण प्रहलाद,रत्तिराम रामप्रसाद,रमेश,किशोर द्वारा दिनांक 15.09.2010 को ग्राम पंचायत भिलवाडी के समक्ष प्रा0पत्र/शिकायत प्रस्तुत प्रस्तुत होने पर बकायदा ग्राम पंचायत द्वारा मौका बयान लिये गये व मौका निरीक्षण भी किया गया पंचायत द्वारा पारित निर्णय में अंकन किया गया है कि शिकायतकर्ता रमेशचन्द बावजूद दूरभाष वार्ता के मौके पर उपस्थित नही हुआ। पंचायत द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि कई वर्षो से इसी रास्ते पर जाने के लिये निकलते आ रहे थे जो रमेश चन्द ने अवरूद्ध कर दिया इस प्रकार पंचायत द्वारा रास्ते को खुलासा कराने का कार्य किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पो0 की आराजी पर आने जाने का रास्ता अपीलान्ट द्वारा रोके जाने पर ही ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा बाद जांच व मौका निरीक्षण कर रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर पंहुच हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में आ रहे (way in actual enjoyment) को बन्द कर देने अथवा व्यवधान डालने पर सुखाचार के तहत ग्राम पंचायत भिलवाडी द्वारा रास्ता खुलासा कराये जाने का जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण विवेचन के साथ पारित किया गया है उसमें हम किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नही करते हैं। अपीलान्ट इस अपील के माध्यम से कोई राहत पाने का पात्र नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे तथा यह पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़